राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2029/2014/बीकानेर.

मैसर्स गणेश स्पाईसेज लिमिटेड,
एफ–231–32, आई.जी.सी., खारा, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर बीकानेर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 23.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र को एकपक्षीय अस्वीकार किया गया है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, बीकानेर द्वारा एकपक्षीय पारित आदेश दिनांक 16.06.22014 के आदेश को निरस्त कर पुनः कर निर्धारण किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा धारा 34 के तहत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जो नोटिस जारी किया गया था वह दिनांक 18.02.2014 के लिये जारी किया गया था परन्तु उसकी तामीली अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक को केवल दो दिन पूर्व ही होने से अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सका एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उस एकमात्र अवसर पर ही एकतरफा आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया गया। कथन किया कि न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील का विरोध किया। कथन किया कि नोटिस जारी किया गया था परन्तु उपस्थित नहीं होने से पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है।

लगातार.....2

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था उस तारीख को अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर आदेश पारित करते हुए प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी के आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत है एवं उसके गुणावगुण पर भी टिप्पणी की गयी है परन्तु धारा 34 के तहत आदेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि व्यवहारी के कर निर्धरण करने से पूर्व उन्हें नोटिस की तामीली करवाई गई थी या नहीं एवं यदि नोटिस तामील करवाया गया है तो वह किस युक्तियुक्त कारण से उपस्थित होने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में धारा 34 के तहत न्यायिक आदेश पारित किया जाना चाहिये। प्रशासनिक अधिकारी के इस आदेश में इस बिन्दु पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि केवलमात्र सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है जो न्यायहित में उचित नहीं होने से अपीलार्थी को एक अवसर दिया जाना विधिसम्मत है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को धारा 34 में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि प्रशासनिक अधिकारी धारा 34 में आदेश पारित करते समय प्रकरण के तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण आदेश के गुणावगुण पर टिप्पणी न की जावे, केवल धारा 34 में प्रदत्त सीमाओं तक ही आदेश पारित किया जावे।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य